

न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बड़वानी(म.प्र.)
(समक्ष : अजय कुमार सिंह)

भू-अर्जन प्रकरण क. 168 / 15
संस्थित दिनांक 12.03.2014

संतोष पिता नानूराम अहीर,
निवासी- ग्राम बिल्वाडेब,
तहसील- अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1 कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क. 27, राजपुर,
इंदिरा सागर परियोजना[ठीकरी],
जिला बड़वानी, म.प्र.
2. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर,
जिला- बड़वानी, म.प्र.

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा अधिवक्ता :- श्री जी.के. मधुकर।
अनावेदकगण द्वारा ए.जी.पी :- श्री राजेश गोठवाल।

अधिनिर्णय

(आज दिनांक 25.01.2017 को पारित)

1- ग्राम बिल्वाडेब तहसील अंजड़ की कृषि भूमि प.हनं. 9 सर्वे नंबर 21 में से 0.295 हैक्टेयर भूमि इंदिरा सागर परियोजना (नहर) निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत किये जाने के लिये अधिसूचना दिनांक 16.06.2009 के द्वारा अधिग्रहित किये जाने के उपरान्त प्रकरण क्रमांक 24-अ-82/08-09 में पारित अवार्ड दिनांक 17.01.2011 से क्षतिपूर्ति कुल धन राशि 1,01,798/- निर्धारित की गयी है, जिससे व्यथित होकर आवेदक के द्वारा कलेक्टर (भूअर्जन अधिकारी) बड़वानी को प्रेषित रिफरेंस का निराकरण इस अधिनिर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2- इस मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि इंदिरा सागर परियोजना (नहर) निर्माण हेतु बिल्वाडेब तहसील अंजड़ की कृषि भूमि प.हनं. 9 सर्वे नंबर 21 में से 0.295 हैक्टेयर भूमि धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गयी। उक्त अधिग्रहण के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये लोक प्रयोजन के लिये भूअर्जन अधिकारी बड़वानी के द्वारा दिनांक 17.01.2011 को अधिनिर्णय पारित करते हुये मुआवजा की राशि निर्धारित की है।

3- भूअर्जन अधिकारी के द्वारा निर्धारित की गयी मुआवजा धन राशि को अपर्याप्त बताते हुये आवेदक के द्वारा भूअर्जन अधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष दिनांक 30.12.2011

को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जो कि जिला न्यायालय को रेफर किये जाने के उपरांत इस न्यायालय को अंतरण पश्चात प्राप्त हुआ है।

4- आवेदक का अपने आवेदनपत्र में सारतः यह उल्लेख है कि उसकी भूमि सिंचित होकर मिर्ची, कपास की फसल से आय अर्जित करता है, भूमि के आसपास व्यापारिक प्रतिष्ठान, मिल, मण्डी स्थित हैं, उससे लगा नेशनल हाई-वे है, वह उक्त भूमि की फसलों से 2,45,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर आय अर्जित करता है, आय के अन्य साधन नहीं हैं, पूरा परिवार आय पर आश्रित है, उक्त आय की 20 वर्षों के लिए गणना कर 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के मान से मुआवजा तथा 1 लाख रुपये पृथक से दिलवाया जावे, उसे वास्तविक बाजार भाव से मुआवजा निर्धारित कर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि तथा 30 प्रतिशत सालेंशियम व सभी राशियों पर निर्धारित ब्याज भी दिलवाया जावे।

5- प्रकरण में अनावेदकगण की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि तोषण व ब्याज की राशि की गणना अवॉर्ड राशि में शामिल है, बाजार मूल्य अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया गया है, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि में सिंचाई का साधन न होने व असिंचित होने से उसी अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया है, आवेदक के द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त कर ली गई है, आवेदक के आरोप निराधार व तथ्यहीन होने से उसका आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

6- उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गयी, जिनके समक्ष निकाले गये निष्कर्ष अंकित है :-

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

- 1.(अ) क्या आवेदक की अधिग्रहित की गई भूमि का मूल्य अधिसूचना दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य से कम निर्धारित किया गया है?
- 1.(ब) यदि हां तो आवेदक किस दर से मुआवजा पाने का पात्र है?
2. सहायता एवं व्यय ?

सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क.1अ,1ब के संबंध में

7- सुविधा की दृष्टि से उक्त वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

8- इस मामले में आवेदक को आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत शपथपत्र प्रस्तुति के अवसर दिए जाने के पश्चात भी शपथपत्र पेश नहीं किए गए हैं, अतः दिनांक 16.09.2016 के आदेशानुसार आवेदक की साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

9— इसी क्रम में महत्वपूर्ण यह है कि आवेदक के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने निर्देश आवेदनपत्र के समर्थन में भी कोई कथन नहीं किये है तथा साक्षी का न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य के दौरान प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया है। साक्षी की प्रतिपरीक्षा न किये जाने के कारण उसकी साक्ष्य को विधिवत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा अपने आवेदनपत्र के समर्थन में कोई भी तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विधिवत प्रमाणित नहीं कराया है।

वाद प्रश्न क. 2 के संबंध में

10— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदक अपना प्रकरण प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। फलतः निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

1. रिफरेंस आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
2. उभयपक्ष अपना-अपना प्रकरण व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणपत्र अनुसार या सूची अनुसार जो भी कम हो, जोड़ा जावे।
व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में घोषित,
दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

(अजय कुमार सिंह)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

